न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 60/2016 श्री आर्यवीर बनाम मलजी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशालगढ़ दिनांक 27–06–2016 प्रकरण संख्या 17/2014 वाद ——————————	
24–01–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में समायत शुदा बहस, रेकार्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी अपीलान्ट की तलबी में चल रहे, वादी रेस्पोन्डेन्ट के बेदखली के वाद को सभी अपीलान्ट प्रतिवादी को सुने बिना स्वेच्छाचारी निर्णय पारित कर मौके की नपती किये जाने का निर्णय पारित किया, परन्तु डिक्री में बेदखली की डिक्री पारित कर दी। स्पष्टतया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न सिर्फ स्वेच्छाचारी है, अपितु प्राकृतिक न्याय, विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होकर निर्णय से पृथक डिक्री जारी करने का विधिघातक निर्णय पारित किया है, जो पक्षकारान के श्रम व धन पर अनावश्यक वज्रपात है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अत्यन्त त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया का पालन कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान आधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	